न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/6055/2004/अलवर

1. श्रीमती भौरी बेवा रघुवीर
2. परसराम
3. श्यामलाल
4. कृष्णलाल पुत्रगण रघुवीर
5. मु. तारादेवी
6. मु. अमरती देवी पुत्रियां रघुवीर
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पतलिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुखीराम पुत्र भौरीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पतलिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 27.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र की चरण संख्या–1 में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चन्दर उर्फ रामचन्दर पुत्र कान्हा ब्राहमण था, जिसके कोई सन्तान नहीं होने के कारण सम्वत् 2008 के करीब उसने रघुवीर पुत्र कालू को हिन्दू रीति रिवाज से गोद लिया, जिसे विवादित आराजी दत्तक पुत्र की हैसियत से प्राप्त हुई। चन्दर उर्फ रामचन्दर की मृत्यु सम्वत् 2010 में बन्दोबस्त से पूर्व हो गयी, उस समय वादीगण के पूर्वज रघुवीर नागालिग था। प्रतिवादी ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अतः विवादित सम्पूर्ण आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर चार तनकियात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–10–2002 से राजीनामें के आधार पर भी दावा डिक्री नहीं कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया । विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 10–12–2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि जमाबन्दी सम्वत् 2009 में चन्दर उर्फ रामचन्दर पुत्र कान्हा ब्राहमण गैर मौरूसी काश्तकार दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने पर उसके उत्तराधिकारी अपीलार्थीगण स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाते है। उनका कथन है कि पूर्व जमाबन्दी में अपीलार्थीगण के पूर्वज विवादित आराजी के खातेदार दर्ज थे, प्रतिवादी प्रत्यर्थी न तो विवादित आराजी का खातेदार दर्ज था, ना ही विवादित आराजी का टिनेन्ट दर्ज था। उनका कथन है कि बन्दोबस्त विभाग को बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान पूर्व के इन्द्राजात को ही दोहराना होता है, उन्हें इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादी को विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार दर्ज कर दिया, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं होने से उक्त इन्द्राज प्रभाव शून्य है। उनका कथन है कि दौरान वाद पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा दिनांक 21-07-2001 को हो गया था एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 21-7-2001 को तस्दीक कर दिया था, इस कारणन्यायालय को राजीनामें के अनुसार वाद को निर्णीत करना चाहिए था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में चार तनकीयात कायम की गयी, किन्तु तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किये जाने के कारण दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2. नियम 5 व आदेश 41 नियम 13 जाप्ता दीवानी के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की

अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि चन्दर व भौरे लाल दोनों संगे भाई थे, सम्वत् 2009-12 की जमाबन्दी में विवादित आराजी पर उनके पिता भौरेलाल की ही बकाश्त दर्ज है। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय उनके पक्षकार के पिता विवादित आराजी पर काश्तकार दर्ज थे, जिन्हें विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के अधिकार प्राप्त हो जाते है। उनका कथन है कि सम्वत् 2009 से अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं प्रत्यर्थी के पूर्वज 1/2 - 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र की चरण संख्या–1 में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चन्दर उर्फ रामचन्दर पुत्र कान्हा ब्राहमण था, जिसके कोई सन्तान नहीं होने के कारण सम्वत् 2008 के करीब उसने रघुवीर पुत्र कालू को हिन्दू रीति रिवाज से गोद लिया, जिसे विवादित आराजी दत्तक पुत्र की हैसियत से प्राप्त हुई। चन्दर उर्फ रामचन्दर की मृत्यु सम्वत् 2010 में बन्दोबस्त से पूर्व हो गयी, उस समय वादीगण के पूर्वज रघुवीर नागालिग था। प्रतिवादी ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अतः विवादित सम्पूर्ण आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2009 में साबिक आराजी खसरा नम्बर 3651 रकबा 07बीघा 17बिस्वा एवं 3652 रकबा 06बीघा 14बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 14बीघा 11बिस्वा भूमि चन्दर वल्द कान्हा ब्राहमण साकिन पतलिया गैर मौरूसी बकाशत भौरे लाल पुत्र कल्लूराम ब्राहमण साकिन पतलिया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2013 में विरासत इन्तकाल से रघुवीर पिसर मुतबन्ना चन्दर व

भौरेलाल पुत्र कल्लूराम ब्राहमण साकिन पतलिया गैर मौरूसी दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 में विवादित आराजी पर रघुवीर एवं भौरेलाल दोनों गैर मौरूसी दर्ज होने से सम्वत् 2029 में दोनों को विवादित आराजी के 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वज विवादित आराजी पर सम्वत् 2009 से ही गैर मौरूसी बकाश्त कृष के खाने में दर्ज थे, जिन्हें विवादित आराजी के 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी में निहित अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29–02–2008 एवं 25–02–2008 से बैचान भी कर दिया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–12–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–10–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य